भारत सरकार **राज्य सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 2458**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 13 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए
निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना योजना के अंतर्गत प्रगति

2458 श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाण:
श्री केसरीदेवसिंह झाला:
क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना योजना (टीआईईएस) के अंतर्गत क्या प्रगति हुई है;
(ख) सीमा हाट, भूमि सीमा शुल्क केंद्रों, गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं, शीत शृंखलाओं और कार्गो टर्मिनल जैसी निर्यात अवसंरचना के लिए प्रदान किए गए अनुदानों का ब्यौरा क्या है;
(ग) इस योजना के अंतर्गत निर्यात लिंकेज के साथ पूर्ण की गई परियोजनाओं की संख्या सहित संस्वीकृत और जारी की गई निधि का राज्य-वार वितरण क्या है;
(घ) निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को जिला निर्यात केंद्र (डीईएच) पहल के साथ किस प्रकार एकीकृत किया गया है;
(ङ) क्या मंत्रालय ने रोजगार सृजन और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता पर उक्त योजना के प्रभाव का आकलन किया है; और
(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग) निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना योजना (टीआईईएस) के अंतर्गत पात्र केंद्र/राज्य सरकार एजेंसियों और संयुक्त उद्यमों को निर्यात से जुड़े महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं की स्थापना और उन्नयन के लिए सहायता प्रदान की जाती है। पात्र कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों को टीआईईएस पर अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) के समक्ष विचार के लिए रखा जाता है। वर्ष 2017-18 में इसकी शुरुआत से लेकर अब तक टीआईईएस के अंतर्गत कुल 69 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें से 43 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

इस योजना के तहत सीमा हाट, भूमि सीमा शुल्क केंद्र, गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं, कोल्ड चेन और कार्गो टर्मिनल जैसी निर्यात अवसंरचना परियोजनाओं के लिए कुल 224.45 करोड़ रुपये की

निधियाँ जारी की गई हैं। इस योजना के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजनाओं और जारी अनुदान के लिए अनुमोदित टीआईएस की हिस्सेदारी का राज्य-वार वितरण का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(घ) इस योजना के अंतर्गत, प्रस्तावों पर जिला स्तरीय निर्यात प्राथमिकताओं के आधार पर, जिन्हें जिला निर्यात केंद्र (डीईएच) पहल के अंतर्गत निर्धारित किया गया है विचार किया जाता है। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा राज्य निर्यात आयुक्त से एक अनुशंसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि परियोजना जिला निर्यात कार्य योजना का हिस्सा है।

(ड़) से (च) टीआईईएस के एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष मूल्यांकन से यह निष्कर्ष निकला है कि इस योजना ने व्यापार को बढ़ावा देने, निर्यात-उन्मुख विकास को प्रोत्साहित करने, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने में अपनी प्रभावशीलता प्रदर्शित की है।

अनुलग्नक

दिनांक 13.03.2026 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2458 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

टीआईईएस के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजनाओं के लिए अनुमोदित टीआईईएस की हिस्सेदारी और जारी अनुदान का राज्य-वार विवरण

(राशि रुपये करोड़ में)

क्र.स.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	अनुमोदित टीआईईएस की हिस्सेदारी	जारी अनुदान
1.	आंध्र प्रदेश	76.07	75.96
2.	असम	22.93	22.93
3.	बिहार	5.77	5.77
4.	चंडीगढ़	5.63	5.63
5.	दिल्ली	15.52	12.65
6.	हरियाणा	12.12	6.06
7.	हिमाचल प्रदेश	33.53	18.46
8.	झारखंड	19.61	9.80
9.	कर्नाटक	63.55	56.76
10.	केरल	51.09	51.09
11.	मध्य प्रदेश	36.09	36.09
12.	महाराष्ट्र	15.79	3.04
13.	मणिपुर	23.18	23.18
14.	मेघालय	4.83	4.83
15.	पंजाब	31.56	25.83
16.	राजस्थान	10.19	7.52
17.	सिक्किम	17.74	8.87
18.	तमिलनाडु	192.63	150.44
19.	त्रिपुरा	17.46	7.74
20.	उत्तर प्रदेश	36.82	25.68
21.	उत्तराखंड	19.52	0
22.	पश्चिम बंगाल	13.66	13.66
